अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–05/2021

गुलाम सरवर बनाम गिरजा शंकर मुण्डा एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

7/12/2022

गुलाम सरवर, पिता–स्व0 गुलाम हैदर, ग्राम– मगनपुर, थाना– गोला, जिला– रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–16/2018–19 गिरजा शंकर मुण्डा बनाम गुलाम हैदर में दिनांक– 01.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	खाखरा	05	516 एवं 757	0.76 1/3

इस वाद की कार्रवाई आवेदक गिरजा शंकर मुण्डा पिता स्व0 गांगु मुण्डा ग्राम सोसोकला थाना गोला जिला रामगढ़ (झारखण्ड) से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा – 46–4(ए) के तहत् मौजा खाखरा थाना नं0–69 थाना गोला जिला रामगढ़ के खाता नं0– 05 प्लॉट नं0 516 मध्ये रकबा 0.24 एकड़ एवं प्लॉट नं0 757 मध्ये रकबा $0.52^{1}/_{3}$ एकड़ कुल मध्ये रकबा $0.76^{1}/_{3}$ एकड़ भूमि वापसी हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर प्रारम्भ की गई है। इस वाद में द्वितीय पक्ष गुलाम हैदर पिता गुलजार मियां निवासी ग्राम वो पो0 मगनपुर थाना गोला जिला रामगढ़ को बनाया गया है।

उभय पक्षों को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, गोला से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–खाखरा के खाता सं0–05, प्लॉट सं0–516, 757, रकवा क्रमशः–0.24 ए0 एवं 0.52 1/3 ए0, कुल रकवा–76.1/3 डी0 से संबंधित है। जिसके खतियानी रैयत शिवलाल सुसारी हैं। वर्तमान में विपक्षी के नाम से कोई जमाबंदी कायम नहीं है। विपक्षी वर्ष 1947 से बेदखल हैं। निबंधित डीड सं0–2695, दिनांक–30.06.1947 के माध्यम से जमींदार द्वारा प्लॉट सं0–757, रकवा–25 2/3 ए0, द्वितीय निबंधित डीड सं0–1975, दिनांक–09.05.1947 के माध्यम से 12.5 डी0, तृतीय डीड सं0–2356, दिनांक–02.06.1947 के माध्यम से रकवा–12.5 डी0, चतुर्थ डीड सं0–2614, दिनांक–23.06.1954 के माध्यम से रकवा–14 3/4 डी0 भूमि शेख हुसैन मियां को विक्रय किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पक्षकार को बिना उचित मौका दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो विधि–सम्मत् नहीं है।

अतः प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वे न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्राम सोसोकला थाना गोला जिला रामगढ़ (झारखण्ड) के स्थानीय निवासी है। मौजा खखरा थाना नं0 69 थाना गोला के खाता नं० 05 प्लॉट नं० 516 रकबा 0.45 एकड़ वो प्लॉट सं0 757 रकबा 0.77 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में द्वितीय पक्ष के परदादा शिवलाल

सुसारी वगै0 के नाम से दर्ज है, जो आदिवासी खाते की खतियानी भूमि है। प्रथम पक्ष जाली वो बनावटी दस्तावेज बनाकर उक्त खतियानी भूमि को गत 7–8 वर्षों से हड़प लिया है और द्वितीय पक्ष को बेदखल कर दिया है। अतः उन्होंने प्रश्नगत भूमि को वापस कराने हेतु अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को वापस किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, गोला ने पत्रांक 320 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा खखरा के खाता सं0 05 कुल प्लॉट 11 कुल रकबा 5.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शीवलाल सुसारी वल्द जंगाली सुसारी बहिस्सा वो खेमलाल सुसारी वल्द लेदा सुसारी एक हिस्सा वो दीपनाथ सुसारी पेशरान मंगला सुसारी बहिस्सा बराबर कौम मुण्डा साकिन देह दर्ज है। चालु पंजी II के पृ0सं0 17/II पर प्रथम पक्ष वीवी जैगुन निशा के नाम से जमाबंदी कायम है। पंजी II पर किसी पदाधिकारी के बिना आदेश का दिनांक 24.12.1978 से जमाबंदी कायम है एवं किसी भी सक्षम पदाधिकारी का प्राधिकार कॉलम पर हस्ताक्षर नहीं है। विवादित भूमि गैर आदिवासी रैयत को केवाला के द्वारा हस्तांतरित हुआ है। विवादित भूमि का वर्त्तमान स्वरूप में द्वितीय पक्ष के द्वारा धान की खेती की गई थी, धान कटीन की गई है। आवेदक केवाला अवधि से बेदखल है। द्वितीय पक्ष के पूर्वज के नाम से राजस्व पंजी II में जमाबंदी कायम नहीं है। प्रथम पक्ष का राजस्व पंजी II के पृ0सं0 17/2 पर खाता सं0 5 कुल रकबा $0.76^{1}/_{3}$ एकड भूमि का जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2018–19 तक निर्गत है। विवादित भूमि सर्वे खतियान रैयत CNT के अन्तर्गत आते हैं। मामला भू–वापसी का बनता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह अंकित करते हुए कि मौजा–खखरा के खाता सं0–05, कुल प्लॉट–11, कुल रकबा–5.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शिवलाल सुसारी वल्द जंगाली सुसारी बहिस्सा वो खेमलाल सुसारी वल्द लेदा सुसारी एक हिस्सा वो दीपनाथ सुसारी पेशरान मंगला सुसारी बहिस्सा बराबर कौम मुण्डा साकिन देह दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा केवाला के आधार पर दावा करते हैं। अंचल अधिकारी, गोला ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II के पृ0सं0 17/II पर प्रथम पक्ष वीवी जैगुन निशा के नाम से जमाबंदी कायम है। पंजी II पर किसी पदाधिकारी के बिना आदेश का दिनांक–24.12.1978 से जमाबंदी कायम है एवं किसी भी सक्षम पदाधिकारी का प्राधिकार कॉलम पर हस्ताक्षर नहीं है। विवादित भूमि सर्वे खतियान रैयत CNT के अन्तर्गत आते हैं। अर्थात प्रथम पक्ष गलत तरीके से अदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, गोला/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वे खतियान में मौजा खखरा के खाता सं0–05, कुल प्लॉट–11, कुल रकबा–5.46 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में शीवलाल सुसारी वल्द जंगाली सुसारी बहिस्सा वो खेमलाल सुसारी वल्द लेदा सुसारी एक हिस्सा वो दीपनाथ सुसारी

पेशरान मंगला सुसारी बहिस्सा बराबर कौम मुण्डा साकिन देह दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत् भूमि खरीदगी के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है, जबकि प्रथम पक्ष के द्वारा निबंधित दस्तावेज के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद में बिन्दुवार समीक्षोपरांत व अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देते हुए, आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों का विधिवत् विश्लेषण पश्चात् आदेश पारित किया जाना श्रेयकर प्रतीत होता है।

अतः मूल अभिलेख पुनर्समीक्षा हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2023.03.29 16:07:26 +05:30
Location: 192.168.137.1